न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 27/21 GCMS NO 2021/146

1. गोपाल
2. गोविन्द
3. प्रकाश पिसरान दौजी जातियान माली निवासी सूरोठ तहसील सुरोठ जिला करौली
4. उगन्ती पुत्री दोजी पत्नि शिवचरण जाति माली निवासी अण्डन का पुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली
5. मानसिह
6. विजय सिह
7. नरसी
8. राजेश पिसरान रामेश्वर जातियान माली निवासीयान सूरोठ तहसील सूरोठ जिला करौली
9. सुशीला पत्नि लाखन पुत्री रामेश्वर जाति माली निवासी अण्डन का पुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली
10. गुडिया पुत्री रामेश्वर पत्नि करण
11. राधा पुत्री रामेश्वर पत्नि चरण जाति माली निवासी श्यारौली तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामहंस
2. किशन
3. देवहंस
4. देवीलाल पिसरान गिर्राज समस्त जातियान माली निवासीयान सूरोठ तहसील सूरोठ जिला करौली
5. श्रीमती रतन बाई पत्नि मुरारीलाल
6. श्रीमती राजन्ती पत्नि श्यामलाल पुत्रीयान गिर्राज जातियान माली निवासीयान सूरोठ तहसील सूरोठ जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 118/06 निर्णय दिनांक 6.10.06 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी

दिनांक 01.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 2[illegible] विरूद्व निर्णय दिनांक 6.10.06 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 1014 रकबा 0.7 ऐयर, 1015 रकबा 0.15 ऐयर, 1016 रकबा 0.12 ऐयर, 1017 रकबा 0.5 ऐयर, 2375 रकबा 0.25 ऐयर, 2377 रकबा 0.21 ऐयर, 2378 रकबा 0.36 ऐयर, 2379 रकबा 0.1 ऐयर, 2380 रकबा 0.21 ऐयर, 2381 रकबा 0.18 ऐयर, 2387 रकबा 0.1 ऐयर, 2388 रकबा 0.42 ऐयर, 2460 रकबा 0.25 ऐयर, 2464 रकबा 0.28 ऐयर, 2465 रकबा 0.16 ऐयर, 2849 रकबा 0.80 ऐयर, 2852 रकबा 0.18 ऐयर, 2855 रकबा 0.35 ऐयर कुल किता 18 कुल रकबा 3 है0 0.56 ऐयर ग्राम सुरोठ तहसील हिण्डौन जिला करौली मे स्थित है। जो कि प्रार्थीगण न0 1 लगायत 6 के पिता एवं प्रार्थीयां न0 7 के पति गिर्राज व अप्रार्थी न0 1 दौजी की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर प्राथीगण व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता व पुत्र है। अप्रार्थी न0 1 ने विवादित आराजीयात मे से ख0न0 1015 रकबा 0.15 ऐयर ,1016 रकबा 0.72 ऐयर आराजीयात बिना बिधिवत विभाजन कराये विधि विरूद्व विक्रय पत्र रजिस्टर्ड प्रतिवादी न0 2 के पक्ष मे पोषिदा तरीके से कराया है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही दी गई। अप्रार्थीगण ने राजस्व कार्मिको से मिलकर नामा0 संख्या 541 विधि विरूद्व अपने नाम तस्दीक करवा लिया है। जो वमुकाबले प्रार्थीगण प्रभावहीन है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से विवादित आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने तथा अप्रार्थी संख्या 2 को किये गये विक्रय पत्र को निरस्त कराने तथा नामा0 संख्या 541 को प्रभावहीन घोषित कराने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण नाराज हो गये और विवादित आराजीयात का विधिवत विभाजन कराने से साफ इंकार कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि विवादित आराजीयात मे सडक के सहारे स्थित समस्त भूमि पर कब्जा कर दीगर व्यक्तियो को बेचान करेगा। इसलिए प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे एवं उनके उपयोग उपभोग मे कोई व्यवधान पैदा नही करे एवं दीगर व्यक्तियो को रहन बय नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्याायलय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। मृतक गिर्राज व स्व0दौजी खास भाई रहे है और उन्होने अन्य आराजीयात के साथ विवादित आराजीयात ख0न0 1015 व 1016 का आपसी सहमति से आज से करीब 45 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया जिसमे खसरा न0 1016 अपीलांट के बुजुर्ग दौजी के हक मे एवं खसरा न0 1015 रेस्पो0 के बुजुर्ग गिर्राज के हक मे आया और इन नम्बरो पर गिर्राज व दौजी ने कब्जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपने अपने नम्बरो मे अपनी बसावट व मकान बना लिये तथा गिर्राज की बसावट ख0न0 1015 मे एवं दौजी की बसावट ख0न0 1016 मे रही जो आज भी मौके पर मौजूद है। तथा दौजी ने उक्त खसरा न0 1015 व 1016 मे दर्ज 1/2 हिस्से का अपीलांट गोविन्द को दिनांक 14.7.03 को कानून के दायरे मे बयनामा सही कराया। क्योकि बाहमी बंटवारा का राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज नही हुआ था लेकिन बाहमी बंटवारे के अनुसार वास्तव मे कब्जा अपीलांट न0 2 गोविन्द को दौजी के द्वारा सम्पूर्ण खसरा न0 1016 मे कराया गया तथा मौके पर उक्त ख0न0 मे गोविन्द काबिज एवं दखील है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 का सम्पूर्ण ख0न0 1016 से कोई वास्ता नही है बल्कि उनका सम्पूर्ण ख0न0 1015 पर कब्जा चला आ रहा है। इस संबंध मे दोनो पक्षो के मध्य विवाद होने पर दिनांक 29.4.07 को कस्बा सुरोठ मे समाज की पंचायत हुई जिसकी लिखावट 100/–रूपये के स्टाम्प पर की गई। जिसमे भी उक्त ख0न0 1015 को बाहमी तकासमे मे गिर्राज के हिस्से मे आना और सम्पूर्ण खसरा पर गिर्राज का विगत 50 वर्षो से कब्जा होना व इसी प्रकार ख0न0 1016 पर मुताबिक बाहमी तकासमा विगत 50 वर्षो से दौजी का कब्जा होना पंचायत द्वारा माना गया। इससे बखूबी साबित है कि पक्षकारान के बुजुर्ग के मध्य उक्त भूमि का विधिवत विभाजन होकर अलग अलग ख0न0 उन्होने अपने अपने हिस्से मे ले लिए और तभी से अपने हिस्से मे आये ख0न0 पर काबिज व दखील होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण स्थिति को नज़रअंदाज कर सरसरी तौर पर आदेश खिलाफ कानून पारित किया है जो जैर अपील है। रेस्पो0/सायलान का ख0न0 1016 की एक इंच भूमि पर भी कोई कब्जा विगत 50 सालो से नही रहा है तथा कानूनन कब्जे के अभाव मे किसी प्रकार का रेस्पो0 /सायलान स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नही थे। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे के बाबत उक्त कानूनी बिन्दु को बिलकुल ही इग्नौर कर आदेश खिलाफ कानून पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात के संबंध मे पूर्व मे हुए पक्षकारान के मध्य बाहमी तकासमे के तथ्य को स्पष्ट करने मुताबिक अभिवचन भूमि मे बनी हुई बसावट के तथ्य की वास्तविकता की जॉच हेतु मौके की पटवारी या अन्य किसी मौका कमिश्नर से मौके की कोई रिपोर्ट नही मंगाई जिससे कि वास्तविकता स्थिति न्यायालय के समक्ष आ सके और पक्षकारो के मध्य न्यायपूर्ण निर्णय हो सके। अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर आदेश मे केवल मात्र प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अभिवचनो को दर्ज कर सीधा ही स्थगन का आदेश पारित किया है। प्रार्थना पत्र व जबाब मे वर्णित तथ्यो के संबंध मे कोई तार्किक निष्कर्स अपने आदेश मे कानून पर आधारित पारित नही किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश खिलाफ़ कानून होने से जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने गोविन्द व अन्य अपीलांटस के बुजुर्ग दौजी द्वारा प्रकरण की पैरवी की जाती थी तथा दौजी के मरने पर अपीलांटस को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नही हुई। क्योकि गोविन्द व दौजी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल हिण्डौन से वकालत छोडकर जयपुर चले गये तथा उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की [illegible] सायलान को नही दी गई तथा तत्पश्चात उक्त मुकदमे मे लखन लाल गोयल [illegible] गुर्जर उनके अधिवक्ता रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है जिन्होने अपीलांटस को तारीख पेशी पर आने के लिए मना कर रखा था और उन्होने भी उक्त आदेश के बारे मे नही बताया तथा दौजी व गोविन्द को कह रखा था कि आवश्यकता पड़ने पर बुला लेगे जिसके कारण अपीलांटस को उक्त आदेश की कोई जानकारी नही हुई तथा रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय मे एक ब्रीच का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अपीलांटस को उसके नोटिस मार्च 2021 मे मिलने पर उक्त आदेश की जानकारी अपीलांटस को हुई जिस पर अपीलांटस ने अपना नया अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने पर हुई। इसके पश्चात होली का त्यौहार आ जाने एवं जानकारी के आधार पर अपीलांट की अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6.10.06 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पो/प्रार्थीगण न0 1 लगायत 6 के पिता एवं प्रार्थीयां न0 7 के पति गिर्राज व अपीलांट संख्या 1 ता 4 के पिता दौजी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसका विधिवत बंटवारा हुये बिना ही दौजी द्वारा भूमि ख0न0 1015 रकबा 0.15 ऐयर ,1016 रकबा 0.72 ऐयर भूमि का बेचान विधि विरूद्व जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट संख्या 2 गोविन्द के पक्ष मे दिनांक 14.7.03 को कर दिया गया । चूकि: भूमि का विधिवत बंटवारा नही हुआ था जिसके बाबजूद भी दौजी द्वारा भूमि का बेचान किया गया है। जिसका नामा0 संख्या 541 अपीलांट द्वारा राजस्व कार्मिको से साज कर अपीलांट संख्या 2 गोविन्द के पक्ष मे तस्दीक करवा लिया गया। जिसकी जानकारी रेस्पो0 को नही थी। रेस्पो0 को उक्त विक्रय पत्र एवं नामा0 की जानकारी होने पर विक्रय पत्र एवं नामा0 को निरस्त कराने हेतु अपीलांट को प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा कहा गया परन्तु अपीलाट द्वारा साफ इंकार कर देने एवं विवादित आराजीयात में से सडक के किनारे की भूमि को दीगर व्यक्तियो को बेचान करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय मे तकासमा का वाद एवं भूमि को रहन बय नही करने एवं प्रार्थी/रेस्पो0 को भूमि से बेदखल नही करने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाही गई थी। प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब अपीलांटस की और से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया है जिससे यह साबित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित नही किया है बल्कि उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण मे सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6.10.06 की अपील अपीलांट संख्या 2 गोविन्द पुत्र दौजी द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 52/07 प्रस्तुत की गई थी। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत दिनांक 31.8.07 को खारिज की गई है। जिसकी निगरानी गोविन्द पुत्र दौजी द्वारा माननीय मण्डल मे की गई है जो जैरकार है। जिसकी जानकारी अपीलांटगण को पूर्व से है। फिर भी अपीलांट द्वारा तथ्यो को छिपाकर पुन:यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। जो विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के लिए प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

का संतुलन प्रार्थी/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित माना जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड का विधिवत रूप से अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत अपील मे यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व केता अपीलांट संख्या 2 गोविन्द पुत्र दौजी द्वारा पूर्व मे अपील संख्या 52/07 इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई थी। उक्त पूर्व अपील की जानकारी अपीलांटस को थी फिर भी उनके द्वारा न्यायालय को गुमराह कर पुनः उसी निर्णय के विरूद्व अपील लगभग 14 वर्ष पश्चात पेश की गई है। जिसके बिलम्व के संबंध मे किसी प्रकार का कोई उचित कारण अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम मे किसी ठोस कारण का उल्लेख नही किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अपीलांट की अपील मियाद बाहर एवं सारहीन होने से भी खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पो0 के बुजुर्ग गिर्राज एवं दौजी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2059 से 2062 से होती है। जिसमे गिर्राज,दौजी पिसरान मूलचंद माली हिस्सा बराबर का उल्लेख है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। बिना बंटवारे के ही विवादित आराजीयात मे से खसरा न0 1015 रकबा 0.15 ऐयर, 1016 रकबा 0.12 ऐयर मे से केमा द्वारा अपने हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व केता अपीलांट संख्या 2 गोविन्द द्वारा इस न्यायालय मे पूर्व मे अपील संख्या 52/07 प्रस्तुत की गई थी जिसे इस न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से दिनांक 31.8.07 को खारिज की गई है। अपीलांट द्वारा पुनः उसी निर्णय के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील मे पूर्व अपील प्रस्तुत करने के तथ्य को छिपाया गया है। पक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात का तकासमे/बंटवारे का नियमित वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा परिस्थितियो को देखते हुए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने एवं तथ्यो को छिपाकर अपील पेश करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट मियाद बाहर एवं तथ्य छिपाकर प्रस्तुत करने के कारण खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के प्रकरण संख्या 118/06 मे पारित निर्णय दिनांक 6.10.06 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.7.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:13 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर